

(७०)

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ०४ जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-७०१/७५/एक/एवीएमयोटीवाई/२०१३-१४, दिनांक २५.०५.२०१५ के सन्दर्भ में भुजे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत के लगात निगम के पी०एल०० में रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत जनपद-वस्ती न००५०, बभनाल व हरेया एवं न००पा०००, वस्ती की १२ परियोजनाओं, जनपद-संतकबीरनगर की न००पा०००, खलीलाबाद एवं न००पा०००, मगहर की ११ परियोजनाओं एवं जनपद-गोरखपुर की न००नि०, गोरखपुर की १२ परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न निकायों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल ३५ परियोजनाओं हेतु रु० ९९८.४९ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त वें सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् रु० ४९९.२४ लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-१०३४/६९-१-२०१३-१३(बजट)/२०१३ दिनांक २४ जुलाई, २०१३ सप्तित संशोधन अदेश संख्या-१३०२/६९-१-२०१३-१३(बजट)/२०१३ दिनांक १३.०८.२०१३ द्वारा जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-३७ में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त जनपदों में से केवल जनपद-संतकबीरनगर की न००पा०००, खलीलाबाद एवं न००पा०००, मगहर की ०८ परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु० ११६.७१५ लाख (रुपये एक करोड़ सोलह लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवेदनों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-३२/६९-१-१३-१४(३।)२०१२टीरी, दिनांक १६ जनवरी, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका घण्ट ६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सशास स्तर से तकनीकी स्वीकृति अदरश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-२-

भूमि औपरी भूमि प्रतुलन पा।

✓
TC
१६/७१८

१६/१०७

१६/७१८

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय पत्थेकं द्रशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुरोगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणारों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्तरों को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30 प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नतन कार्यक्रम विभाग, 30 प्र० शासन के प्रतिहस्ताकरोपरान्त विन्या जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ लेखागार का नाम, बातचर संछय, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चातू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को तापस करानी होगी।

- 3-
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्रविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मिलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान" के लगभग डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
संलग्नक: रायोक्त।

संख्या-6245 /2015/1430(1)/69-1-2015 तिथिनांक।

- प्रतिलिपि, लिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
 2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लैट, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
 3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नयन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
 4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, संतकबीर नगर।
 5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र० शासन।
 7. वियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
 8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ।
 9. सहायक वैद साप्टर, मुहा को विभागीय वैद्यसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
 10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या ६९५ / 2015/1430/69-1-2015-13(बजट) / 2013 दिनांक १८ जुलाई, 2015 क.
संलग्नक।

क्र०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	वस्ती/घाँड़ का नाम	परियोजना की कुल लागत	(प्रतिशील लाख रुपये में) द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्थीकृति योग्य घनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	संतकबीर नगर	न०पा०प०, खलीलाबाद	महारा में राजकुमार के घर से गुलाम हुसेन के घर होते हुए पंकज के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.30	12.40
2.	तदैय	तदैय	स्टेशनपुरवा में ड० अब्दुल अजीज के घर उदय शकर आदि के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	27.60	13.80
3.	तदैय	तदैय	स्टेशनपुरवा में न०पा० पिच रोड से ड० अब्दुल आदि के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.80	10.40
4.	तदैय	तदैय	पुरानी तहसील दक्षिणी में दूबर के घर से शकिर आदि के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	35.80	17.90
5.	तदैय	तदैय	मो०-पठान टोला पूरी में विषुव सब स्टेशन से कविस्ताल की दुकान तक कुटपाथ का निर्माण।	27.11	13.555
6.	तदैय	तदैय	मो०-मटिहाना, घाँड़ न०-०१, में कविस्ताल की डिलाइनर बीउन्डी योल एवं उच्चीकरण का कार्य।	23.16	11.58
7.	तदैय	तदैय	मो०-तिल्लिया में चन्द्र प्रकाश गौर्य के घर से खान संहित के ब्लाट होते हुए प्रभोद के घर यादव जी के घर से राम सूरत के घर एवं ए०पी०ए० स्कूल के पाछे से उस्का कला गुद्य सड़क तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.51	19.755
8.	तदैय	न०पा०, भगलूर	मो०-रेहरवा में सीमान्तर्गत ३० संख्यक तथा मतिन वस्ती में नरायन/अब्दुल रहीम के घर से नहर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.65	17.325
(रुपये एक करोड़ सोलह लाख इकाहत्तर हजार पांच सौ मात्र)				233.43	116.715

रोग

lps
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।